भारत में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और शहरों के लिए यातायात प्रबंधन और सूचना नियंत्रण केन्द्र और राष्ट्रीय जन परिवहन हैल्पलाईन के लिए संचालन दस्तावेज तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं का पैनल बनाने के लिए अनुरोध- बोलीपूर्व भाव-दरों के प्रश्नों के उत्तर और आरएफई में संशोधन।

क्र. सं.	आरएफई का खण्ड/भाग	आरएफई दस्तावेज संबंधी प्रश्न	प्रश्न का उत्तर
1.	सामान्य	आरएफई दस्तावेज में भुगतान की शर्तें और अन्य नियम व शर्तें स्पष्ट नहीं हैं।	आरएफई दस्तावेज, पैनल बनाने की प्रक्रिया है। परियोजना के नियम व शर्तें, शहर विशिष्ट आरएफपी दस्तावेज के अनुसार अलग-अलग होती हैं, जो संबंधित, नगर या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जारी किया जाएगा।
2.	पृष्ठ 19 खण्ड 3.2.2	सौंपे गए कार्य के लिए पात्रता शर्ाने के लिए कौन-से समर्थक दस्तावेज अपेक्षित होंगे।	खण्ड 3.2.2 के अनुसार, आवेदन की देय तारीख (9 अक्तूबर, 2014) से पूर्व विगत पांच वर्षों के दौरान ग्राहक से पंचाट पत्र, उसकी पात्रता दर्शाने के लिए पर्याप्त समर्थक दस्तावेज होगा। प्रत्येक कार्य के ब्यौरे अनुबंध 6 में विनिर्धारित प्रपत्र में दिया जाने चाहिएं।
3.	पृष्ठ 19 खण्ड 2.12.2 (के)	खण्ड 2.12.2 (के) अस्पष्ट हैं "आवेदक के पंजीकरण का प्रमाण"	यह स्पष्ट किया जाता है कि कंपनी अधिनियम (समावेशन का समावेशन) खण्ड 2.12. 2 (के) के तहत कंपनी के पंजीकरण का प्रमाण अपेक्षित होता है।
4.	पृष्ठ 6 खण्ड 1.5.2	शहरी विकास मंत्रालय ने परामर्शदाताओं का अनंतिम पैनल किस प्रकार बनाया और आवेदकों में से परमर्शदाताओं के ऐसे अनंतिम पैनल बनाने की क्या प्रक्रिया है।	शहरी विकास मंत्रालय ने आरएफई के खण्ड 1.1.7 के तहत यथा परिभाषित परामर्शदाता (राष्ट्र स्तरीय परामर्शदाता) की पहचान करने की पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया का निष्पादन किया था। इस प्रक्रिया के तहत इस पर सहमति बनी थी कि चुने गए बोलीदाताओं को अनंतिम तौर पर पैनलबद्ध किया जाएगा (जैसा आरएफई के खण्ड 1.5.2 में स्पष्ट

क्र. सं.	आरएफई का खण्ड/भाग	आरएफई दस्तावेज संबंधी प्रश्न	प्रश्न का उत्तर
			किया गया है)। अनंतिम तौर पर पैनलबद्ध परामर्शदाता इस आरएफई के तहत पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन करने हेतु इच्छा पत्र (खण्ड 2.12.2 (j) पेश करें। तथापि, यदि अनंतिम तौर पर पैनलबद्ध किसी परामर्शदाता को कोई संघटक अलग से अथवा किसी भिन्न सह-व्यवस्था हिस्से के रूप में पैनलबद्ध होना चाहता है, उसे इस पैनलबद्धीकरण प्रक्रिया के तहत दोबारा से आवेदन करना होगा।
5.	पृष्ठ 60 खण्ड 8.2	किसी भी पार्टी द्वारा पार्टियों के बीच इस निविदा के अनुसरण में उत्पन्न किन्हीं मामलों से संबंधित किसी भी विवाद, जिसका किसी एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी से सौहार्दपूर्ण समाधान के अनुरोध की प्राप्ति पर तीस (30) दिन के भीतर सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं किया जा सकता, समाधान के लिए किसी भी पार्टी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत किया जाएं। सर्वोच्च न्यायालय में कोई दशा विनिर्दिष्ट नहीं है।	अनुबंध 2 पैनलबद्ध परामर्शदाताओं और राज्य/शहर/संघ राज्य क्षेत्र की विशिष्ट सरकारी एजेंसी के बीच निविदा का नमूना है। परियोजना के लिए निविदा के विस्तृत नियम व शर्तें अथवा विशेष शर्तें आरएफई के पृष्ठ 61 पर यथा उल्लेखित संबंधित राज्य, शहर अथवा संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जारी शहरी विशिष्ट आरएफपी दस्तावेज के अनुसार भिन्न-भिन्न होंगे।
6.	सामान्य	निविदा का विशेष शर्त वाला हिस्सा इस आरएफपी में नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय संबंधी विभिन्न खण्ड हैं, अत: हमें आरएफपी का सर्वोच्च न्यायालय वाला हिस्सा मुहैया करें।	कृपया प्रश्न सं. 5 का उत्तर देखें।
7.	पृष्ठ 20	कृपया निम्नलिखित का अनुभव और	प्रमुख कार्मिकों का अपेक्षित अनुभव और

क्र. सं.	आरएफई का खण्ड/भाग	आरएफई दस्तावेज संबंधी प्रश्न	प्रश्न का उत्तर
	खण्ड 3.2.3	शैक्षिक अर्हता स्पष्ट करें:- क. दल नेता सह आसूचना परिवहन प्रणाली (आईटीएस) विशेषज्ञ ख. सूचना तकनीक (आईटी) विशेषज्ञ ग. एकीकरण विशेषज्ञ घ. निविदा विशेषज्ञ	शैक्षिक योग्यता, आरएफई के संशोधन सं. 1 में दिए गए हैं।
8.	पृष्ठ 19 खण्ड 3.2.2	प्वाइंट एच में लिखा है, कि प्रणाली एकीकरण संबंधी कोई कार्य। कृपया स्पष्ट करें कि क्या किसी क्षेत्र, जैसे ई-गवर्नेन्स में एकीकरण का अनुभव भी अर्हता होगी।	प्रणाली एकीकरण अनुभव से आश्य खण्ड 3.2.2 के (ए) से (जी) के तहत निर्धारित किसी प्रणाली का एकीकरण होगा।
9.	पृष्ठ 19 खण्ड 3.2.2	शब्द 'कोई कार्य' सभी 8 प्वाइंट्स (ए-एच) में लिखे हैं। क्या इसका आश्य है कि इस पैनल का हिस्सा बनने के लिए अर्हक के लिए उल्लिखित श्रेणियों में से किसी में भी की गई कोई परियोजना अर्हक होगी अथवा सभी आठ श्रेणियों में अनुभव अपेक्षित है।	यह स्पष्ट किया जाता है कि खण्ड 3.2.2 के प्वाइंट ए-एच में यथा उल्लेखित किसी भी श्रेणी में कोई परियोजना इस पैनल के लिए अर्हक योग्यता होगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस पैनल की अर्हता के लिए सभी आठ श्रेणियों में **अनुभव अनिवार्य** नहीं है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पात्र कार्य, जिनका खण्ड 3.2.2 के प्वाइंट सं. ए-एच में उल्लेख किया गया है, जिनके लिए ग्राहक से प्राप्त पंचाट पत्र ("एलओए")/कार्यनिष्पादन पत्र पर इस पैनलबद्धकरण के लिए विचार किया जाएगा। इसके अलावा, आवेदन की देय तारीख से 5 वर्ष पूर्व में चालू कार्यों पर भी इस पैनलबद्धकरण के लिए विचार

क्र. सं.	आरएफई का खण्ड/भाग	आरएफई दस्तावेज संबंधी प्रश्न	प्रश्न का उत्तर
			किया जाएगा।
10.	सामान्य	क्या मूल कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से यह मूल्यांकन के लिए पात्र होगी। कृपया स्पष्ट करें, क्या वैश्विक अनुभव पर विचार किया जाएगा।	यदि आवेदक की मूल कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है और आवेदक इस अनुभव के जरिये अपनी पात्रता साबित करना चाहता है, तब अपेक्षित अनुभव धारक मूल कंपनी को आवेदक के साथ सहायक साझेदार के तौर पर साथ आना होगा।
11.	पृष्ठ 20 खण्ड 3.2.3 (क्र.सं. 2)	पैरामीटर सं. 2-आवेदक के प्रासंगिक अनुभव का ब्यौरा/अंकन विधि मुहैया करने के लिए अनुरोध। अनुरोध है कि कृपया आप पैरामीटर में अंक प्रदान करने के पैटर्न को और अधिक स्पष्ट करें, इसे काफी भारिता (40 अंक) दी गई है।	आवेदक के प्रासंगिक अनुभव का मूल्यांकन परिशिष्ट 6 में आवेदक द्वारा दिए गए ब्यौरे के आधार पर किया जाएगा। अंक प्रदान करने के पैटर्न का निर्णय मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। अंक प्रदान करने के व्यापक मापदंड अनुबंध 1 पर दिए गए हैं।
12.	खण्ड 3.2.2	कृपया स्पष्ट करें कि क्या प्वाइंट्स ए-जी से यथा उल्लेखित ऐसे सौंपे गए कार्य के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन पूर्व परामर्श और/अथवा परियोजना प्रबंधन परामर्श भी इस पैनलबद्धकरण के लिए अर्हक होंगे अथवा इन क्षेत्रों में एसआई अनुभव पर ही विचार किया जाएगा।	जी हां, प्वाइंट्स ए-जी से यथा उल्लेखित ऐसे सौंपे गए कार्य के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन पूर्व परामर्श और/अथवा परियोजना प्रबंधन परामर्श भी इस पैनलबद्धकरण के लिए अर्हक होंगे।
13.	पृष्ठ 19 खण्ड 3.2.2	कृपया स्पष्ट करें कि क्या एकल संगठन पैनल बनाने के बाद सह-व्यवस्था में शामिल हो सकता है।	आरएफई दस्तावेज के खण्ड 2.3 के प्रावधान लागू होंगे।
14.	पृष्ठ 8 खण्ड 3.2.3	बोली जमा करने की तारीख में 2 सप्ताह की बढ़ोत्तरी करने का अनुरोध।	प्रस्ताव 16 अक्तूबर, 2014 को अपराह्न 03:00 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। कृपया अनुबंध 1 देखें।
15.	पृष्ठ 19 खण्ड 3.2.3	इस आरएफई के तहत आवेदन के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए,	सहमत नहीं। आरएफई में प्रावधान लागू होंगे।

क्र. सं.	आरएफई का खण्ड/भाग	आरएफई दस्तावेज संबंधी प्रश्न	प्रश्न का उत्तर
		निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट और/ अथवा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, वास्तु, कार्यान्वयन, परियोजना प्रबंधन, कार्यक्रम निगरानी और मूल्यांकन, प्रचालन ("स्कोप" 1) तैयार करने संबंधी कार्य को पात्र कार्य ("अर्हक कार्य") माना जाएगा, जिनके लिए आवेदन की देय तिथि से विगत 6 वर्ष के दौरान ग्राहक से करार के पंचाट पत्र ("एलओए")/निष्पादन पत्र लिए गए हैं।	
16.	पृष्ठ 19 खण्ड 3.2.2	प्वाइंट 'एच' में यह लिखा है कि प्रणाली एकीकरण में कोई कार्य। कृपया स्पष्ट करें, क्या किसी क्षेत्र, जैसे ई-गवर्नेन्स में प्रणाली एकीकरण का अनुभव भी अर्हक होगा।	प्रणाली एकीकरण अनुभव से आश्य खण्ड 3.2.2 के (ए) से (जी) के तहत निर्धारित प्रणालियों में से किसी एक का एकीकरण होगा।
17.	*भाग 2.2.2*	*इस भाग में भारत में शामित किसी कंपनी के तौर पर अथवा विदेशी कंपनी में समकक्ष कानून के तौर पर व्यवसाय संगठन का उल्लेख है।*	*कोई भी संगठन, जिसे ऐसे देश के प्रचलित कानूनों के तहत विदेशी देश में कंपनी के रूप में शामिल किया गया है, भाग लेने का पात्र होगा। संगठन को पैनलबद्ध होने के लिए अपने आवेदन-पत्र के साथ पंजीकरण/समावेशन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि देनी होगी।*
18.	पृष्ठ 35 *पाद टिप्पणी*	खण्ड "अन्य फर्मों में नियोजित कार्मिक" पर भी विचार किया जाए।	*आरएफपी में दी गई शर्तें लागू होंगी।*
19.	*सामान्य*	*बोली-पूर्व चर्चा की गई।*	*जहां तक अन्य चयनित बोलीकर्ताओं का संबंध है, पैनलबद्ध होने के लिए एसयूटीपी के लिए मौजूदा पीएमसी भी पात्र होंगी क्योंकि राज्य/शहर यह कार्य जीईएफ 4 के बाहर और एसयूटीपी के बाहर निष्पादित करेंगी।*

अनुबंध 1: आरएफई दस्तावेज में संशोधन सं. 1

खण्ड 1.7 निम्नानुसार संशोधित किया गया है।

मौजूदा खण्ड 1.7

क्र. सं.	प्रसंग का विवरण	उल्लेखित तारीख
4.	**आवेदन की देय तारीख**	**9 अक्तूबर 2014**

संशोधित खण्ड 1.7

क्र. सं.	प्रसंग का विवरण	दिनांक
4.	**आवेदन की देय तारीख**	**16 अक्तूबर 2014, अप. 3.00 बजे तक**

खण्ड 3.2.3 निम्नानुसार संशोधित किया गया है।

मौजूदा खण्ड 3.2.3

क्र.सं.	**पैरामीटर**	**अधिकतम अंक**
1.	**कंपनी का प्रोफाइल**	**20**
2.	**आवेदक का संबंधित अनुभव**	**40**
3.	**प्रमुख कार्मिकों की अर्हता और संबंधित अनुभव**	**40**
2ए	दल नेता सह आसूचना परिवहन प्रणाली (आईटीएस) विशेषज्ञ	15
2बी	सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विशेषज्ञ	10
2सी	एकीकरण विशेषज्ञ	10
2डी	संविदा विशेषज्ञ	5
	कुल अंक	**100**

संशोधित खण्ड 3.2.3

क्र.सं.	पैरामीटर	अधिकतम अंक	
1.	**कंपनी का प्रोफाइल**	**20**	
2.	**आवेदक का संबंधित अनुभव**	**40**	पात्र कार्यों में अनुभव, जैसा पैराग्राफ 3.2.2 में दिया गया है।
3.	**प्रमुख कार्मिकों की अर्हता और संबंधित अनुभव**	**40**	
3ए	दल नेता सह आसूचना परिवहन प्रणाली (आईटीएस) विशेषज्ञ	**15**	➢ अर्हता: इंजीनियरिंग स्तानक अथवा समकक्ष ➢ अनुभव: 15 वर्ष ➢ 5 पात्र कार्यों में परियोजनाएं
3बी	सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विशेषज्ञ	10	➢ अर्हताः इंजीनियरिंग स्नातक (कंप्यूटर विज्ञान) अथवा समकक्ष ➢ अनुभव: 10 वर्ष ➢ परियोजनाएं: आईटी के क्षेत्र में 3 परियोजनाएं
3सी	एकीकरण विशेषज्ञ	10	➢ अर्हता: इंजीनियरिंग स्तानक अथवा समकक्ष ➢ अनुभव: 10 वर्ष ➢ परियोजनाएं: क्योंकि एकीकरण विशेषज्ञ ने विभिन्न मंचों और तकनीकों के एकीकरण वाले पात्र कार्यों के लिए परियोजनाएं कार्यान्वित की होंगी।
3डी	संविदा विशेषज्ञ	5	➢ अर्हता: एमबीए/विधि में डिग्री अथवा समकक्ष ➢ अनुभव: 10 वर्ष ➢ परियोजनाएं: बोली प्रलेखन और बोली प्रक्रिया प्रबंधन, आई-परियोजनाएं
	कुल अंक	100	